न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–09/2016–17
आर0एम0ए0

डेना बेसरा
बनाम
रूएल बेसरा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

19-12-2020

आदेश

यह अपील वाद विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–27/2008–09 में दिनांक–30.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध Limitation Act की धारा 5 के साथ दाखिल किया गया है। अपील वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई। **अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल मूल आवेदन के अनुसार उक्त पी0ए0 वाद सं0–27/2008–09 में दिनांक 30.08.2016 को पारित आदेश द्वारा हिरणपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–तारजोला एवं नारगंज का ग्राम प्रधान SPT (Suppl.) Act 1949 की धारा 6 के तहत उत्तरवादी क0–02 रूएल बेसरा को नियुक्त किया गया है जबकि SPT (Suppl.) Act 1949 की धारा 5 के तहत प्रधान नियुक्ति हेतु कार्रवाई किया जाना चाहिए था, क्योंकि अन्तिम ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद मौजा खास हो गया था।**

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंतिम रूप से अपना तर्क/बहस प्रस्तुत किया गया। उत्तरवादी की ओर से पूर्व में लिखित बहस दाखिल किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–तारजोला एवं नारगंज, अंचल–हिरणपुर एक प्रधानी गॉव है तथा उक्त गॉव के अंतिम ग्राम प्रधान की मृत्यु लगभग 30–40 वर्ष पूर्व हो चुकी है। अंतिम ग्राम प्रधान की मृत्यु के तीन माह के बाद उक्त मौजा/गॉव खास हो गया। खास गॉव में ग्राम प्रधान की नियुक्ति SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 के तहत की जा सकती है। उनका आगे कहना है कि अंचल अधिकारी, हिरणपुर के द्वारा गलत एवं टेबल प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि 16 आना रैयतों को कोई आपत्ति नहीं है, जबकि अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में दिनांक–24.08.2015 को SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 के तहत् अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल कर दिया गया था, जिसे एक तरह की आपत्ति भी माना जाना

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

चाहिए था।

अपीलकर्त्ता का आगे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से Observe किया गया है कि यदि अंतिम प्रधान कुछ उत्तराधिकारियों को छोड़कर मृत होते है तो उत्तराधिकारियों की स्वीकार्यता के संदर्भ में 2/3 जमाबंदी रैयतों की इच्छा प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उनका आगे कहना है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा SPT (Supp. Prov.) Act 1949 के चैप्टर II में अंर्तनिहित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। मौजा–तारजोला एवं नारगंज के जमाबंदी रैयतों को नोटिस तामिला नहीं कराया गया। उनका

आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता कई वर्षों से ग्राम प्रधान का कार्य कर रहे थे एवं अन्तिम ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मौजा के खास हो जाने के कारण उनके द्वारा SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 के तहत् अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। निम्न न्यायालय को धारा 5 के तहत् बहाली की प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी, परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा खास मौजा में धारा 6 के तहत् उत्तरवादी की नियुक्ति कर दिया गया, जो कानून की नजर में गलत है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के द्वारा दाखिल लिखित बहस दिनांक–27.10.2018 का अवलोकन किया गया। उत्तरवादी द्वारा अपने लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता का दावा बिल्कुल गलत एवं निराधार है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी के दादा ईश्वर बेसरा नियुक्त प्रधान थे, जो 29.03.1948 को नियुक्त किए गए थे। वर्ष 1976 में ईश्वर बेसरा के द्वारा तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में SPT Act के प्रावधान के तहत् एक आवेदन दाखिल किया गया, जो R.M Case no-32/75-76 के रूप में पंजीकृत हुआ। उक्त आवेदन में उनके द्वारा अधिक उम्र की वजह से शारिरिक अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए अपने पुत्र रूबेन बेसरा को ग्राम प्रधान नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड द्वारा विधि के अनुरूप उनके प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। उसके बाद उत्तरवादी के पिता रूबेन बेसरा मौजा–तारजोला एवं नारगंज के ग्राम प्रधान पद पर कार्य करने लगे। उक्त रूबेन बेसरा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रूएल बेसरा जो इस वाद के उत्तरवादी है, के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में अपनी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। अपीलार्थी ढेना बेसरा के द्वारा भी निम्न न्यायालयमें एक आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। तत्पश्चात् उत्तरवादी को ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी की नियुक्ति विधिवत् हुई है तथा वे मौजा–तारजोला एवं नारगंज के ग्राम प्रधान का कार्य कर रहें है। उनके द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा उत्तरवादी द्वारा लिखित अभिकथन का अध्ययन से स्पष्ट है कि **इस वाद में विचारण का मुख्य बिन्दु यह है कि प्रश्नगत मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति SPT (Suppl. Pro.) Act 1949 की धारा 5 के तहत की जानी थी अथवा धारा 6 के तहत।** निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अपने इस दावे, कि अंतिम ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बाद किसी अन्य ग्राम प्रधान की नियुक्ति नही हुई थी, के संदर्भ में उत्तरवादी द्वारा पी0ए0 वाद सं0–32/1975–76 में दिनांक 24.04.1976 को पारित आदेश तथा उक्त वाद में दाखिल आवेदन तथा 1948–49 में संधारित पी0ए0 वाद में दिनांक 19.11.1948 एवं 29.12.1948 को पारित आदेश के नकल की छाया प्रति दाखिल किया गया है। दाखिल कागजात से प्रतीत होता है कि ईश्वर बेसरा एक नियुक्त ग्राम प्रधान थे, जिनकी नियुक्ति वर्ष 1948 में हुई थी। ईश्वर बेसरा के द्वारा अपने जीवितावस्था में ही वर्ष 1976 में तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में आवेदन दाखिल कर अपनी वृद्धावस्था एवं अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए अपने पुत्र रूबेन बेसरा को मौजा–तारजोला एवं नारगंज का ग्राम प्रधान नियुक्त करने का अनुरोध किया गया था। तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा ईश्वर बेसरा के उक्त आवेदन पत्र को स्वीकृत किया गया था अर्थात् ईश्वर बेसरा के अपने पुत्र रूबेन बेसरा को ग्राम प्रधान बनाने संबंधी आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया था, तत्कालीन विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पी0ए0 वाद सं0–32/1975–76 में दिनांक 24.04.1976 को पारित आदेश निम्नवत है – " आवेदक की ओर से हाजरी पड़ी है। आवेदक प्रधान मेरे समक्ष उपस्थित होकर कहते है कि वे काफी वृद्ध हो चुके हैं और प्रधान के कार्यभार का निर्वाह करने में असमर्थ है। वे अपने एकलौते पुत्र रूबेन बेसरा को जिम्मानामा देना चाहते है, आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है।" उक्त आदेश से स्पष्ट है कि रूबेन बेसरा मौजा तारजोला एवं नारगंज के ग्राम प्रधान थे, परन्तु उक्त तथ्य न तो उत्तरवादी के द्वारा निम्न न्यायालय में

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

प्रस्तुत किया गया और न ही अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जॉच प्रतिवेदन में ही इसका उल्लेख है। यह नया साक्ष्य इस स्तर पर लाया गया है।

किसी खास मौजा अथवा गैर खास मौजा में ग्राम प्रधान SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 के तहत अथवा धारा 6 के तहत ग्राम प्रधान की बहाली की जानी है, परन्तु इसमें SPT (Supp. Prov.) Act 1950 के नियम 3 एवं सेडयूल V का अनुसरण भी किया जाना है। **इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना बिहार के द्वारा Thakur Hembrom Vrs State of Bihar जो 1980 BLJR 448 :1980 BLJ 212 (DB) में पारित न्याय निर्णय प्रासंगिक है।**

उक्त न्याय निर्णय के अनुसार **"Authorities should have first considered the case of Person claiming right to the post of pradhan on the basis of hereditary claim. It was pointed out that the procedure of election under sction 5 comes only after rejecting the right of hereditary claim.**

" Authoritier under this act are bound to considered the claim of the post of Pradhan on the basis of hereditary claim first. After rejection of this claim the authority can considered the alternative method of appointment of pradhan by election."

उक्त न्याय निर्णय स्वतः स्पष्ट है। सर्वप्रथम वंशानुगत दावे को Consider किया जाना है तथा वंशानुगत दावे के अस्वीकृत होने की स्थिति में ही धारा 5 के तहत बहाली की प्रक्रिया अपनाई जानी है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी रूएल बेसरा को पूर्व प्रधान का पौत्र पाते हुए SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 के तहत अर्थात वंशानुगत आधार पर प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया।

जहॉ तक उत्तरवादी के उक्त पद के लिए Fit (योग्य) होने का प्रश्न है, इस संदर्भ में निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध अंचल अधिकारी, हिरणपुर के जॉच प्रतिवेदन में उत्तरवादी के Unfit होने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है।

Schedule V के नियम 3 के अनुसार "The office of headman being hereditary the next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a sarbrakhar to manage for him until he attains his majority. If no suitable sarbrakhar can be found, the right of the minor lapses"

चूँकि निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादी को वंशानुगत आधार पर प्रश्नगत मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया है इसलिए धारा 5 के तहत नोटिस निर्गत करने आदि की

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

कार्रवाई का औचित्य नहीं बनता है।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन के पारा (vi) में 2/3 जमाबन्दी रैयतों की इच्छा प्राप्त करने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का हवाला दिया गया है परन्तु उक्त न्याय निर्णय किस वाद में पारित किया गया है न तो इसका उल्लेख किया गया है और न ही संबंधित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उल्लेखित उक्त न्याय निर्णय इस मामले में प्रासंगिक भी नहीं है क्योंकि उनके द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान के एक से अधिक वैध उत्तराधिकारी हैं अथवा वे स्वयं पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान के वैध उत्तराधिकारी है।

यदि यह मान भी लिया जाए कि अन्तिम नियुक्त ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद प्रश्नगत मौजा खास हो गया था, तब भी Thakur Hembrom Vs State of Bihar में पारित न्याय निर्णय के अनुसार पहले Hereditary Claim करने वाले के दावे का निष्पादन किया जाना है एवं वंशानुगत दावे के खारिज होने की स्थिति में Sec.-5 के तहत मतदान प्रक्रिया अपनाई जानी है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि किसी खास अथवा गैर खास मौजा में सर्वप्रथम वंशानुगत आधार पर किए गए दावे का निपटारा किया जाना है तथा वंशानुगत दावे के रद्द / अस्वीकृत होने की स्थिति में ही मतदान प्रक्रिया अपनाई जानी है।

इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

19.12.2020
उपायुक्त,
पाकुड़।

19.12.2020
उ पा यु क्त,
पाकुड़।

06/D.B. से 5/2/2021 LCR प्रेषित।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.13 15:51:01 +05:30
Location: 192.168.1.101